# न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या : 09/2024 आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र**

1. मदन लाल पुत्र रूपालाल रेगर निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

**बनाम**

1. निर्मल कुमार पुत्र प्रभुलाल जैन निवासी चांद जी की खेड़ी, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिजौलिया

—प्रार्थी

—विपक्षी

**प्रार्थनापत्र– अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भूमि आवंटन (कृषि प्रयोजनार्थ अधि० 1970)**

उपस्थित –

1. श्री हिमांशु ओझा अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री शंभूदास वैष्णव अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से

# निर्णय

दिनांक 08.12.2025

माननीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर से रिमाण्ड किया जाकर निर्देषित किया गया कि प्रकरण में नियमों के संदर्भ में संशोधित नियम 18(4) में सुनवाई कर निर्णय पारित किया जावे।

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को ग्राम पचानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा मे दिनांक 01/06/1989 को तत्कालीन आवंटन कमेटी द्वारा आराजी नम्बर 340 मे से रकबा 3 बीघा भूमि आवंटन विधि विरूद्ध हो गई जो काबिल निरस्ती के है। आवंटन मे विपक्षी संख्या 1 आवंटी द्वारा आवंटन भूमि आराजी नम्बर 862/340 रकबा 3 बीघा पर नियमानुसार काश्त नही की गई, जबकि आवंटन के बाद सम्पूर्ण भूमि पर प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष मे काश्त करना जरूरी है, परन्तु विपक्षी संख्या 1 द्वारा नियमों की पालना नही की गई अवलोकनार्थ खसरा गिरदावरी की नकल आवंटन से वर्तमान तक यानि 2048 से 2070 तक की पेश है जिसमे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नही की है जिससे आवंटन निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 को भूमि आवंटन दिनांक 01/06/1979 को हुई संवत 2048 से 2063 तक काश्त नही की गई जिसमे आवंटन निरस्तीकरण कराने की कार्यवाही विपक्षी संख्या 1 को करनी चाहिए थी, नही की गई मात्र 2084 मे पटवार हल्का मे सम्पूर्ण कर खसरा गिरदावरी में गेहूँ की फसल अंकन करा कपटपूर्ण

8.12.25 अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

रूप से खातेदारी दर्ज करा दी जबकि आवंटन के 17 वर्ष तक काश्त नही कर आवंटन शर्तों की पालना नही की गई जिससे आवंटन काबिल निरस्ती के है।विपक्षी संख्या 1 ग्राम चांद जी की खेडी का निवासी है तथा आवंटीत भूमि ग्राम पचानपुरा की सरहद में है जिससे नियमानुसार पचानपुरा निवासी को ही आवंटन होनी चाहिए थी परन्तु विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि व तथ्यों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।विपक्षी संख्या 1 काश्तकार नहीं है तथा न ही कृषि कार्य पर निर्भर है और ना ही कृषि करता है विपक्षी संख्या 1 किराणे का थोक व्यापारी वक्त आवंटन था जिसका विवरण वक्त आवंटन फार्म के पीछे पटवारी रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकित है कि "व्यवसाय किराणा का थोक व्यापारी" जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अनुसार किराणा के थोक व्यापारी भूमि आवंटन का पात्र नही है जानते हुए भी आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन नियमों की अनदेखी कर विधि विरूद्ध कपटपूर्ण व नियमों के विरूद्ध आवंटन किया है जो काबिल निरस्ती के है।विपक्षी संख्या 1 का मुख्य व्यवसाय किराणा का थोक व्यापारी है जिसका मुख्य व्यवसाय खेती करना नही है तथा न ही खेती पर निर्भर है जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 3 ख के अनुसार विपक्षी संख्या 1 आवंटन की पात्रता नही रखता है भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा मे नही आता, जिससे आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्ती के है।आवंटन आदेश दिनांक 01/06/1989 मिसल नम्बर 593/09 पट्टा जारी दिनांक 09/11/1989 की कलम संख्या 7 आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई तथा आवंटन नियमों के विपरीत होने से काबिल निरस्ती के है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश विपक्षी संख्या 1 के नाम ग्राम पचानपुरा की आराजी संख्या 340 मे से रकबा 3 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 01/06/1989 को निरस्त फरमाया जावे।

माननीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर से रिमाण्ड प्रकरण को प्रतीबद्ध किया गया। विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी संख्या 1 को ग्राम पचानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा मे दिनांक 01/06/1989 को तत्कालीन आवंटन कमेटी द्वारा आराजी नम्बर 340 मे से रकबा 3 बीघा भूमि आवंटन विधि विरूद्ध हो गई जो काबिल निरस्ती के है। आवंटन मे विपक्षी संख्या 1 आवंटी द्वारा आवंटन भूमि आराजी नम्बर 862/340 रकबा 3 बीघा पर नियमानुसार काश्त नही की गई, जबकि आवंटन के बाद सम्पूर्ण भूमि पर प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष मे काश्त करना जरूरी है, परन्तु विपक्षी संख्या 1 द्वारा नियमों की पालना नही की गई अवलोकनार्थ खसरा गिरदावरी की

8.12.15
जिला कलक्टर

नकल आवंटन से वर्तमान तक यानि 2048 से 2070 तक की पेश है जिसमे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नही की है जिससे आवंटन निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 ग्राम चांद जी की खेडी का निवासी है तथा आवंटीत भूमि ग्राम पचानपुरा की सरहद में है जिससे नियमानुसार पचानपुरा निवासी को ही आवंटन होनी चाहिए थी परन्तु विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि व तथ्यों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।विपक्षी संख्या 1 काश्तकार नहीं है तथा न ही कृषि कार्य पर निर्भर है और ना ही कृषि करता है विपक्षी संख्या 1 किराणे का थोक व्यापारी वक्त आवंटन था जिसका विवरण वक्त आवंटन फार्म के पीछे पटवारी रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकित है कि "व्यवसाय किराणा का थोक व्यापारी" जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अनुसार किराणा के थोक व्यापारी भूमि आवंटन का पात्र नही है जानते हुए भी आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन नियमों की अनदेखी कर विधि विरूद्ध कपटपूर्ण व नियमों के विरूद्ध आवंटन किया है जो काबिल निरस्ती के है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश विपक्षी संख्या 1 के नाम ग्राम पचानपुरा की आराजी संख्या 340 मे से रकबा 3 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 01/06/1989 को निरस्त फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र नियत अवधि 3 वर्ष (आवंटन के पश्चात) के काफी समय बाद अर्थात करीब 26 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है जो कि जाहिरा तौर बेरून मियांद है। विपक्षी वर्षों से उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है। इस कारण प्रार्थी द्वारा बताये उक्त झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त आवंटन कानुनन निरस्त नहीं किया जा सकता है। विपक्षी चांदजी खेड़ी का निवासी था व है तथा वक्त आवंटन आवंटित कृषि भूमि भी चांद जी खेड़ी पंचायत में अंकित थी (जो वर्तमान में नई पंचायत 'आरोली' बनने से अन्तरित हो गई है) इसी कारण विपक्षी को तत्समय भूमिहीन काश्तकार होने के कारण नियमानुसार सही तौर उचित मानदण्डों के अनुसरण में पात्रता के आधार पर आवंटित किया गया तथा उक्त भूमि वर्षों से विपक्षी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है व कानुनन खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी से आवंटन के लगभग 26 वर्षों बाद प्रार्थी द्वारा बताये गए तथ्यों के आधार पर बेदखल अथवा निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित 'किराणे का थोक व्यापार विपक्षी के पूर्वजों द्वारा किया जाता था तथा विपक्षी के नजदीकी रिश्तेदार इसी व्यवसाय में है इसी कारण प्रार्थी द्वारा विपक्षी को भी किराणे के व्यवसाय से जोड़ दिया गया है। विपक्षी कृषि करता है तथा कृषि पर निर्भर है जो उसकी आजिविका का साधन है व नियमित तौर काश्त कर रहा है। विपक्षी ने कोई Missrepresentation एवं Fraud कभी नहीं किया है जब कि किसी भी आवंटन के

निरस्तीकरण के लिये वक्त आवंटन उक्त तथ्यों का होना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अध्ययन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में विपक्षी को किराणें का थोक व्यापारी होने का उल्लेख किया हैं जबकि आवंटन नियमों में स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गयी कि आवंटी सद्भाविक रूप से भूमिहीन कृषक की श्रेणी में होना आवश्यक हैं। भू आवंटन नियमों में यह भी प्रावधान हैं कि आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि में से आधी भूमि पर उसी वर्ष काश्त करना आवश्यक हैं, लेकिन आवंटी ने प्रकरण में उपलब्ध जिन्स गिरदावरी के अनुसार संवत् 2064 के अलावा किसी भी वर्ष में काश्त नही की गयी। जिससे आवंटन शर्तों का भी पूर्णतया उल्लघंन हुआ हैं और बिना आवंटन शर्तों की पालना किये आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाना भी त्रुटिपूर्ण रहा हैं। आवंटनशुदा भूमि कि लिए खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने पर ऐसे खाते की कृषि भूमि को उस खातेदार के खातेदारी अधिकार को काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(9) के तहत अवसान किया जा सकता हैं। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद सिद्ध हैं कि आवंटी भू आवंटन कमेटी के समक्ष अपने व्यवसाय के तथ्य को छिपाया हैं। भू आवंटन के पश्चात् काश्त न कर आवंटन शर्तों का उल्लघंन किया हैं तथा आवंटी अन्य ग्राम का निवासी हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होकर आवंटी का आवंटन निरस्त योग्य ठहरता हैं। अतएव–

## आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) स्वीकार किया जाता हैं। भू आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम पचानपुरा तहसील बिजौलिया के खसरा नम्बर 340 रकबा 3.00 बीघा भूमि जिसके आवंटन के बाद खसरा नम्बर 862/340 रकबा 3.00 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 01.06.1989 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.12.25

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा